



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 450 राँची, सोमवार 24 भाद्र 1936 (श०)  
15 सितम्बर, 2014 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

9 सितम्बर, 2014

संख्या-5/आरोप-1-331/2014 का.-9080--श्रीमती जयश्री झा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेड़ो के पद पर पदस्थापन की अवधि से संबंधित प्रपत्र- 'क' में आरोप प्राप्त है। इनके विरुद्ध कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने, योजनाओं के कार्यान्वयन में बाह्य आपूर्तिकर्ताओं को निहित स्वार्थवश अनुचित लाभ पहुँचाने तथा सरकारी निदेशों के विरुद्ध मनमाने रूप से कार्य कर सरकारी कोष का गबन एवं दुरुपयोग करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जिसके कारण एक बड़ी सरकारी राशि की क्षति हुई है। इन आरोपों के लिए श्रीमती झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् श्रीमती झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, श्रीमती झा के बचाव बयान, संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन, उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के समीक्षोपरान्त श्रीमती जयश्री झा को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें दोषी करार करते हुए विभागीय संकल्प सं0-963 दिनांक 1 मार्च, 2007 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:-

- (1) निन्दन- वर्ष 1989-90 तथा
- (2) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

इस दण्ड के विरुद्ध श्रीमती झा, द्वारा पुनः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका डब्लू0पी0(एस0) नं0- 1367/2003 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को आदेश पारित करते हुए दण्ड से संबंधित संकल्प को निरस्त कर दिया गया।

माननीय न्यायालय के उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 नं0- 103/2012 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2012 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं द्वितीय कारण-पृच्छा का उत्तर, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा संबंधित कागजातों की पुनः समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-3759, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 द्वारा निन्दन की सजा दी गई।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्रीमती झा द्वारा पुनः याचिका W.P.(S) No. 2431/2012 दायर की गयी, जिसमें दिनांक 21 फरवरी, 2013 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अधिरोपित दण्ड को निरस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध सरकार द्वारा LPA No. 174/2013 दायर किया गया, जो पुनः माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात् सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को पारित आदेश में निरस्त कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP निरस्त किये जाने के फलस्वरूप W.P.(S) No. 2431/2012 में पारित न्यायादेश दिनांक 21 फरवरी, 2013 के अनुपालन में श्रीमती झा के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं0-3759, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

-----

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 450-50 ।